दैनिक भास्कर बिलासपुर 24-07-2025

बिलासपुर, गुरुवार 24 जुलाई, 2025 श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या, 2082 12 पेज | 01 संस्करण

दो मामलों में अदालत तल्ख • PSC भर्ती घोटाले में 3 आरोपियों को जमानत नहीं; हिरासत में मौत को गैरइरादतन हत्या माना

पर्चा लीक करना लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़, हत्या से भी गंभीर मामला: हाई कोर्ट

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी के बहुचर्चित भर्ती घोटाले में तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। तीनों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तीन आरोपियों में एक पीएससी के परीक्षा नियंत्रक के पद पर कार्यरत थे, जबकि दो पर गलत तरीके से चयनित होने का आरोप है। हाई कोर्ट के जस्टिस बिभू दत्त गुरु की सिंगल बेंच ने कहा है कि जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करता है, वह लाखों युवाओं के भविष्य से खेलता है, यह कृत्य हत्या से भी गंभीर है।

छत्तीसगढ़ पीएससी में 2020 से 2022 के बीच हुई राज्य सेवा परीक्षा में भारी गड़बड़ियों का आरोप सामने आया था। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे बाद में सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई की जांच में पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह के इशारे पर बड़े पैमाने पर प्रश्न पत्र लीक किए जाने का खुलासा हुआ। आरोप है कि प्रश्न पत्र उनके दो भतीजों नितेश सोनवानी और साहिल सोनवानी को दिए गए। इसके बाद पीएससी के परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर ने इन्हें बजरंग पावर एंड इस्पात के निदेशक श्रवण गोयल तक पहुंचाया, जिन्होंने यह पेपर अपने बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार को दिलवाया। इसी आधार पर सभी ने डिप्टी कलेक्टर व डीएससी जैसे पद हासिल किए। शेष पेज 3

याचिका में तर्क, भतीजा परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं

तीनों आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत याचिकाएं लगाई थीं, इसमें तर्क दिया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। बचाव में यह तर्क भी दिया कि पीएससी के नियमों के तहत भतीजा परिवार की परिभाषा में नहीं आता।

रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो यह समाज के लिए खतरा: कोर्ट

हाई कोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की डिवीजन बेंच ने एक फैसले में कहा है कि हिरासत में मौत न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह लोकतंत्र और मानवाधिकारों के खिलाफ गहरी चोट है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो यह समाज के लिए गंभीर खतरा है। दरअसल, हिरासत में लेने के कुछ घंटों बाद व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसके शरीर पर चोट के 26 निशान मिले थे। मामले में चार पुलिसकर्मी दोषी ठहराए गए थे। ट्रायल कोर्ट ने चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि हाई कोर्ट ने गैरइरादतन हत्या का मामला मानते हुए उम्रकैद की जगह 10 साल की सजा कर दी है।

हिरासतं में मौत के मामले में दोषी पाए गए तीन पुलिसवालों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। वर्ष 2016 में ग्राम नरियरा निवासी सतीश नोरगे को शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में मुलमुला थाना पुलिस ने हिरासत में लिया था। शेष पेज 3